


MUNICIPAL CORPORATION BHILAI (C.G.)
NIT


कार्य का नाम :- जोन क्र.-04 शिवाजी नगर अंतर्गत ग्रीष्म काल में ट्रेक्टर टैंकर से जल प्रदाय कार्य।

NON SOR ITEM

S.No.	Description and details of work	Qty.	Unit
1	जोन क्र.-04 शिवाजी नगर अंतर्गत ग्रीष्म काल में ट्रेक्टर टैंकर से जल प्रदाय कार्य।	2187	द्वीप


Executive Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)

Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)


Sub. Engineer
Municipal Corporation
Bhilai (C.G)

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

ट्रेक्टर टैंकर से जल प्रदाय कार्य हेतु आवश्यक नियम शर्त :-

1. ट्रेक्टर टैंकर की न्यूनतम क्षमता 4500 लीटर होना अनिवार्य है।
2. ट्रेक्टर टैंकर हेतु प्रस्तुत दरें चालक, इंधन एवं संधारण व्यय सहित होगी। इसके लिये पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा एवं लॉग बुक संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. ट्रेक्टर टैंकर से प्रतिदिन नौ फेरे कुल 40,500 लीटर पेयजल प्रदाय अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार प्रतिदिवस की ट्रिप में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
4. ट्रेक्टर टैंकर की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी तथा आवश्यकता/ मांग के अनुरूप 12 घंटे के अंदर ट्रेक्टर टैंकर उपलब्ध कराना होगा। समय-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं कराने पर कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।
5. ट्रेक्टर टैंकर न लगाये जाने की स्थिति में प्रति दिवस 8,000.00 रु. का दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
6. निगम के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक ट्रेक्टर टैंकर पूर्ण तथा हिस्सों में आवश्यकतानुसार पृथक-पृथक स्थानों पर निर्धारित समय पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. निविदा दाता द्वारा लगाये गये ट्रेक्टर टैंकरो पर पंजीयन नंबर "नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्रमांक..... में पेयजल परिवहन हेतु आरक्षित" ट्रेक्टर क्रमांक- एवं ड्राईवर/ एजेंसी का मोबाईल नम्बर लिखा होना आवश्यक है।
8. ट्रेक्टर टैंकर के द्वारा जल प्रदाय कार्य में संलग्न ड्रायवर/कर्मचारी के द्वारा शासकीय, गैर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
9. किसी भी प्रकार के शासकीय, गैर शासकीय निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर अथवा दुर्घटना होने पर समस्त क्षतिपूर्ति/थाना/न्यायालय की कार्यवाही हेतु निविदा दाता एजेंसी बाध्य होगी।
10. न्यूनतम दर दाता एजेंसी को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व वाहन का पंजीयन चालक का ड्राईविंग लाइसेंस, आर.सी बूक, इश्योरेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
11. टैंकर लिकेज सहित एवं पेंटिंग किया हुआ होना अनिवार्य है।
12. अनुबंधित ट्रेक्टर टैंकर से निगम क्षेत्र या बाहर पेयजल विक्रय संबंधी शिकायत या जांच में पाए जाने पर निविदा निरस्त की कार्यवाही की जावेगी या रु. 10,000.00 प्रति टैंकर जुर्माना अथवा दोनों की जावेगी।
13. परिवहन विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
14. यह निविदा संपूर्ण वर्ष हेतु आमंत्रित की जा रही है। ग्रीष्म काल के उपरांत भी आकस्मिक आवश्यकता में एजेंसी को वांछित संख्या में ट्रेक्टर टैंकर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

कार्यपालन अभियंता

जल कार्य

नगर पालिक निगम

भिलाई